



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्था)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain
(An autonomous Organization under Ministry of Education, Govt. of India)

पत्र.सं. 17-3/2026/मसारावेविप्र/2125

दिनांक: 21 अगस्त, 2026

कार्यालय आदेश

विषय: 'वेद वार्ता' पत्रिका (त्रैमासिक अंक जुलाई-सितंबर) हेतु अनुदानित वेद पाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परंपरा इकाइयों से गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

प्रतिष्ठान द्वारा संबद्ध अनुदानित वेद पाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परंपरा इकाइयों हेतु 'वेद वार्ता' नामक त्रैमासिक शोध एवं समाचार पत्रिका का निरंतर प्रकाशन किया जाता है। अब तक इस पत्रिका में मुख्य रूप से प्रतिष्ठान मुख्यालय द्वारा आयोजित वैदिक प्रचार-प्रसार गतिविधियों, विद्वत् संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के समाचारों व चित्रों को स्थान दिया जाता रहा है।

प्रतिष्ठान द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 'जुलाई - सितंबर' अंक तथा इसके पश्चात प्रकाशित होने वाले सभी परवर्ती (आगे के) अंकों में, प्रतिष्ठान द्वारा संचालित समस्त अनुदानित गुरु-शिष्य परंपरा इकाइयों एवं वेद पाठशालाओं में आयोजित होने वाली विविध वैदिक गतिविधियों व कार्यक्रमों के विवरण तथा चित्रों को भी विशेष रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

अतः समस्त अनुदानित वेद पाठशालाओं के एवं गुरु-शिष्य परंपरा इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि:

1. अपनी पाठशाला/इकाई में जुलाई से सितंबर माह तक आयोजित उत्कृष्ट वैदिक कार्यक्रमों (जैसे—वेद पाठ, संगोष्ठी, वैदिक परीक्षा, वार्षिकोत्सव आदि) की संक्षिप्त एवं स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करें।
2. रिपोर्ट में कार्यक्रम का नाम, तिथि, आयोजक तथा कार्यक्रम में भाग लेने वाले मुख्य विद्वानों/अतिथियों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए।
3. कार्यक्रमों के उच्च गुणवत्ता वाले स्पष्ट फोटोग्राफ्स संलग्न करें।
4. उपर्युक्त समस्त सामग्री एवं रिपोर्ट प्रतिष्ठान की आधिकारिक ईमेल आईडी msrvvp.publication@gmail.com पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
5. भविष्य में होने वाले सभी कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटो भेजते रहें।


21.8.2026

(प्रो. विरूपाक्ष वि.जड्डीपाल)

सचिव

प्रतिलिपि:

1. श्री अनूप कुमार मिश्र, सहायक निदेशक (प्रकाशन) को सूचनार्थ।
2. समस्त अनुदानित वेद पाठशालाएँ एवं गुरु-शिष्य परंपरा इकाइयों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. कार्यालय आदेश पत्रावली।